भारत सरकार।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा।

[illegible]तारांकित प्रश्न संया 4049.

दिनांक 19 माच , 2021 को पूछे जाने वाले न का उ र । त

ऑफ-[illegible]

4049. श्री बृजेन्द्र सिह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या अन्य संबंधित सक्षम प्राधिकरणों ने देश म नए ऑफ-कपस मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने के लिए कदम उठाए ह; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वा थ्य और परिवार कल्या[illegible] रा य मंी (श्री [illegible])

(क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य, विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित अधिनियम (अधिनियमों) द्वारा की जाती है। यूजीसी विश्वविद्यालयों की सूची रखती है तथा संसद/राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियम की प्राप्ति पर विश्वविद्यालय का नाम यूजीसी सूची म शामिल किया जाता है। ऑफ-कपसिस और/अथवा उसके अंदर संस्थानों की स्थापना संबंधी मामलों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, यूजीसी ने किसी भी निजी विश्वविद्यालय को ऑफ-कपस शुरू करने की अनुमोदन नहीं दिया है।

इसके अलावा, विश्वविद्यालयवत माने जाने वाले संस्थानों का विनियमन यूजीसी (विश्वविद्यालयवत संस्थान) विनियम, 2019 द्वारा किया जाता है। इन विनियमों म प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आकलन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा प्रत्यायित विश्वविद्यालय माने जाने वाले ऐसे संस्थान जिनको (संचयी ग्रेड बिंदु औसत) सीजीपीए 3.26 और उससे अधिक है तथा जिन्हे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग काय ढांचे (एनआईआरएफ) रैंकिंग म 'विश्वविद्यालय' श्रेणी म 1-50 म रक किया गया है, वे भारत सरकार के अनुमोदन से ऑफ कपस केन्द्र शुरू कर सकते ह। यूजीसी ने उक्त विनियमों म संशोधन किया है जो विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों को ऑफ-कपस केन्द्र के रूप म मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए निजी संस्थानों के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। इस समय, विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों के अंतगत आठ ऑफ-कपस मेडिकल कॉलेज ह। इनकी सूची अनुलग्नक म दी गई है।

*****

[illegible]

[illegible]विद्यालय माने जाने वाले संस्थानों के अंतगत ऑफ-कपस मेडिकल कॉलेजों को सूची

क्र.[illegible]	[illegible]विद्यालय माने जाने वाले संस्था[illegible] [illegible]	[illegible]
01	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमट (जीआईटीएएम), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	येनदादा (विशाखापत्तनम)
02	मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माधव नगर, उडुपी, मणिपाल-576104, कनाटक	बगलुरू मगलोर
03	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री माग, पुणे – 411030, महाराष्ट्र।	सांगली
04	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, सवांगी (मेघे), वधा-442004, महाराष्ट्र।	नागपुर
05	एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सांइसेज, एमजीएम कपस, सेक्टर-18, कमोठे, नवी मुंबई-410209	औरंगाबाद
06	अमृता विश्व विद्यालय, एत्तीमदई पोस्ट, कोयम्बत्तूर-641105, तमिलनाडु	कोच्चि
07	एमजीआर एजुकेशन एंड रिसच इंस्टीट्यूट, पेरियार ईवीआर सलाई (एनएच 4 राजमाग), मदुरावोयल, चैन्ने-600095 तमिलनाडु	बगलुरू
08	विनायक मिशन रिसच फाउंडेशन, संकरी मणि रोड, एनएच 47, अरियानूर, सलेम-636308, तमिलनाडु।	कराईकल (पुदुचेरी)